

# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 411/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गोपाराम पुत्र कचराराम जाति मेघवाल निवासी गुडीसर तहसील व जिला-बाड़मेर।		1 बादलीदेवी पत्नी सुमारराम 2 भुराराम पुत्र अनोपाराम जाति मेघवाल निवासी दोलानियों की ढाणी (गुडीसर) तहसील व जिला बाड़मेर 3 शाखा प्रबन्धक मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाड़मेर 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 RTA Act.

- उपस्थिति :- 1. श्री मोहनलाल पूनड़, वकील वादी।  
2. श्री प्रतापसिंह राठौड़ वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02।

## निर्णय

दिनांक 30/03/21

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 411/2018 अनवान गोपाराम बनाम बादलीदेवी वगैरह में दिनांक 25.09.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाड़मेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया।

तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक भूअ./2021/1490 दिनांक 22.03.2021 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। उभय पक्ष द्वारा तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया।

अतः तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य मौजा दौलानियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 133 रकबा 136.07 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किरम	लगान	बरग
1	गोपाराम पुत्र कचराराम जाति मेघवाल निवासी गुडीसर खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बाड़मेर	133	34.02	बा.सो.	01.70	हरा
2	बादलीदेवी पत्नी सुमारराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बाड़मेर	133	34.02	बा.सो.	01.70	बैंगनी
3	भुराराम पुत्र अनोपाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बाड़मेर	133	68.03	बा.सो.	3.42	गुलाबी

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरभीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(रोहित चौहान)  
सहायक कलक्टर  
(एसडीओ) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 30/03/21 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(एसडीओ) बाड़मेर



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)

अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. गोपाराम पुत्र कचराराम जाति मेघवाल निवासी गुडीसर तहसील व जिला बाड़मेर।

1 बादलीदेवी पत्नी सुमारराम 2 भुराराम पुत्र अनोपाराम जाति मेघवाल निवासी दोलानियों की ढाणी (गुडीसर) तहसील व जिला बाड़मेर 3 शाखा प्रबन्धक मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बाड़मेर 4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत 53 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 411/2018

निर्णय दिनांक :- 30.03.21.....


वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30-3-21..... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य मौजा दोलानियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 133 रकबा 136.07 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	गोपाराम पुत्र कचराराम जाति मेघवाल निवासी गुडीसर खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बाड़मेर	133	34.02	बा.सो.	01.70	हरा
2	बादलीदेवी पत्नी सुमारराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बाड़मेर	133	34.02	बा.सो.	01.70	बैंगनी
3	भुराराम पुत्र अनोपाराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा बाड़मेर	133	68.03	बा.सो.	3.42	गुलाबी

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 30-3-21..... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रोहित चौहान)  
पीठासन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	अर्जी के लिए स्टाम्प
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	प्लीडर की फीस
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	आदेशिका की तामील
6 कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीस
7 आदेशिका की तामील	
जोड़	जोड़